10

भारत में ठेका श्रम

10. 1 भारत में ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है जिन्हें प्रयोगकर्ता एंटरप्राइज के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है । यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण व विकसित होता हुआ स्वरुप है । इन कामगारों की संख्या करोड़ों में है और ये मुख्य रूप से कृषि कार्य, बागानों, निर्माण उद्योग, पोत एवं बंदरगाह, तेल क्षेत्र, फैक्ट्रियाँ ,रेलवे, जहाजरानी, विमान सेवा, सड़क परिवहन आदि के कार्य में लगे हैं ।

10.2 ठेका श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का गठन इन कामगारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। यह ऐसी प्रत्येक स्थापना/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हों । यह सरकार एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों की स्थापनाओं पर भी लागू होता है ।

10.3 केन्द्र सरकार का रेलवे, बैकों, खानों आदि जैसी स्थापनाओं पर नियंत्रण है तथा राज्य सरकारों का उस राज्य में स्थित यूनिटों पर नियंत्रण रहता है ।

10.4 केन्द्र एवं राज्य सरकारों के परामर्श बोर्ड, जिसमें सरकार, नियोक्ताओं एवं कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सम्बन्धित सरकारों को अधिनियम के प्रशासन के दौरान सामने आने वाले मामलों, जो कि उन्हें भेजे जाते हैं, मुख्य रूप से स्थापनाओं में ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन के प्रश्न पर, सुझ ाव देते हैं ।

10.5 केन्द्रीय परामर्श ठेका श्रम बोर्ड जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है का पुनर्गठन 24 जून, 2002 को किया गया तथा गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष तक पद पर बने रहते हैं । बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी.सदासिवन नैय्यर को 10 मई, 2002 को ,तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की दो बैठकें आयोजित हुई तथा 58वीं बैठक 29-30 नवम्बर, 2004 को आयोजित की गई ।

10.6 बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (आद्रा) (पश्चिम बंगाल), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं परमाणु विज्ञान केन्द्र नामक स्थापनाओं में क्रमशः खाद्यान्न ढोना/उतारना, ट्रॉली में सुधार करना तथा मुख्य द्वार एवं स्वागत कक्ष पर तैनाती जैसे कार्यो के लिए ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया ।

10.7 अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाओं का पंजीकरण तथा ठेकेदारों को लाइसेंस उपलब्ध करवाना शामिल है । ठेका श्रमिकों के मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित हितों को सुरक्षित रखा जाता है । ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएँ तथा कार्य करने के स्थान पर पीने के पानी आदि जैसी अन्य मूल आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाया जाना शामिल है। मजदूरी तथा अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है और ऐसा न होने पर मूल नियोक्ता की होती है ।

10.8 आपातकालीन स्थिति किसी स्थापना अथवा ठेकेदार को अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने से छूट दी जाती है । ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को उन ठेका श्रमिकों की रोजगार निषेध सम्बन्धी अधिसूचना लागू करने से, साढ़े तीन वर्ष की अवधि के लिए, छूट प्रदान की गई है जो कोयला ढ़ोने/उतारने, खनिजों को निकालने, बहुत अधिक कार्य बोझ में दबे तथा भूस्खलन सहायकों जैसे कार्यों में संलग्न हो, बशर्ते उन्हें न्यूनतम वेतन के स्थान पर अधिक वेतन तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसी प्रकार मेट्रो रेलवे, कोलकाता को उस अधिसूचना के लागू होने से छूट दी गई, जिसके अंतर्गत 05/2/05 तक जाँच सहायक के कार्य के लिए ठेका श्रमिकों को नियुक्त न करने की बात कही गई थी ।

10.9 केन्द्रीय परिधि में मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) एवं उनके अधिकारियों की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) को अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया । प्रवर्तन कार्रवाई दर्शाने वाली विवरणी **तालिका 10.1** में दी गई है ।

10.10 बहुत सी न्यायिक घोषणाओं से भी भारत में ठेका श्रम कानून को बल मिला है । ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में ठेका श्रमिकों की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । एयर इण्डिया मामले (1996) में न्यायालय ने कहा कि ठेका श्रम पर रोक लगाने की कार्रवाई में, मूल नियोक्ता पर ठेका श्रमिक को समाविष्ट कर लेने का सांविधिक दायित्व बन जाता है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) मामले (2001) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एयर इण्डिया के फैसले को रद्द कर दिया तथा कहा कि मूल नियोक्ता की स्थापना में ठेका कामगारों के समाविष्ट होने के निदेश औद्योगिक निर्णायक, केवल तभी देगा जब ठेका जाली अथवा नकली हो । प्रामाणिक ठेकों के मामले में मूल नियोक्ता के लिए आवश्यक है कि वह नियमित नियुक्ति के लिए ठेका कामगारों को प्राथमिकता दे, यदि मूल नियोक्ता नियमित कामगारों के द्वारा निषेधात्मक कार्य को करवाने की कोशिश करता है ।

तालिका 10.1

ठेका श्रम का प्रवर्तन (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

क्रम सं.	विषय	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1.	मूल नियोक्ताओं को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	516	796	720
2.	ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	6827	7081	6778
3.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6052	5970	4991
4.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	94685	90156	71632
5.	किए गए अभियोजनों की संख्या	3671	3453	3896
6.	अपराधों की संख्या	2070	2188	2072
7.	लाइसेंस द्वारा कवर्ड ठेका श्रमिकों की संख्या	709030	1327298	853690
8.	रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या	3904	6552	4014
9.	रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	-----	-----	52